सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी, युवाओं को मिलेगा रोजगार

ओडिशा और गुजरात की तर्ज पर तैयार की गई नीति आयात हो रहे हैं सेमीकंडक्टर से संबंधित उत्पाद

कैबिनेट के फैसले

लखनऊ में लोक भवन में कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते वित्त व संसदीय कार्य सुरेश खन्ना, साथ में कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह • जागरण

राज्य ब्यूरो, लखनऊ: कैबिनेट की बैठक में प्रदेश की अपनी सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ओडिशा व गुजरात की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए अपनी नीति बनाने वाले राज्यों में शामिल हो गया है। प्रदेश में सेमीकंडक्टर उद्योग की स्थापना में यह नीति काफी सहायक सिद्ध होगी और देश व विदेश से उप्र में बड़े पैमाने पर निवेश का रास्ता साफ होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संदर्भ में बीते दिन प्रस्तावित नई नीति की समीक्षा कर उसमें कई संशोधन करवाए थे। इस उद्योग की स्थापना से प्रदेश में युवाओं को रोजगार भी मिलेंगे।

कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि इससे पूर्व गुजरात, ओडिशा व तमिलनाडु में सेमीकंडक्टर नीति बनाई गई है। अब यूपी चौथा राज्य है। वहीं, सूचना प्रद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर के मुताबिक कैबिनेट से नीति को मंजूर किए जाने के बाद प्रदेश में सेमीकंडक्टर उद्योग की स्थापना की जा सकेगी। इसके लिए नीति में कई प्रविधान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि भारत में इलेक्ट्रानिक्स हार्डवेयर उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। वर्ष 2014-15 में यह उद्योग 1,90,366 करोड़ रुपये का था जो 2019-20 में बढ़कर 5,33,550 करोड़ रुपये का हो गया है। मौजूदा समय में भारत सेमीकंडक्टर से संबंधित उत्पादों के लिए आयात पर निर्भर है। उन्होंने बताया कि उप्र सेमीकंडक्टर नीति 2024 बनने के बाद प्रदेश को सेमीकंडक्टर इको सिस्टम के केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकेगा। इससे निवेश के साथ युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध होंगे व सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। नीति में सेमीकंडक्टर निर्माण इकाइयों को वित्तीय और गैर वित्तीय प्रोत्साहन देने की भी व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार भी इस क्षेत्र को प्रोत्साहन परिव्यय दिए दे रही है। नीति के अनुसार सेमीकंडक्टर उद्योग स्थापित करने के लिए भूमि की खरीद व पट्टे पर पर स्टांप शुल्क, विद्युत शुल्क में छूट भी दिए जाने का प्रविधान किया गया है।

एमएसएमई इकाइयों व प्लेज पार्क के लिए नहीं देना होगा परिवर्तन शुल्क

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : विकास प्राधिकरणों के तहत आने वाली कृषि भूमि के उपयोग के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) इकाइयों और प्लेज पार्क (निजी एमएसएमई पार्क) को परिवर्तन नहीं देना होगा। कैबिनेट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2022 के प्रविधानों में आंशिक संशोधन से जुड़े एमएसएमई विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दे लघु उद्यमियों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। यह निर्णय एक फरवरी 2023 से ही प्रभावी होगा।

सभी बड़े संस्थानों को अब रखना होगा फायर अफसर

- आग से असुरक्षित इमारतों को सील कर सकेंगे अग्निशमन विभाग
- निदेशक के पद पर होगी आइजी रैंक के अधिकारी की तैनाती

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम की नई नियमावली को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अग्निशमन विभाग को और अधिकार मिल गए हैं। अब सभी बड़े सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों को फायर अफसरों की नियुक्ति करनी होगी। साथ ही आग से असुरक्षित इमारतों को सील करने का अधिकार भी विभाग को दे दिया गया है। नई नियमावली के मुताबिक अग्निशमन सेवा विभाग को अब उप्र अग्निशमन एवं आपात सेवाएं के नाम से जाना जाएगा।

नई नीति के अनुसार प्रदेश को आठ जोन में बांटा गया है। ये जोन होंगे-मेरठ, आगरा, कानपुर, बरेली, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी व गोरखपुर। लोगों को यह अधिकार दिया गया है कि अग्नि शमन विभाग की ओर से पारित आदेशों से सहमत न होने पर वे अपील कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में फायर सर्विस अधिनियम में संशोधन की कवायद दो वर्षों से की जा रही थी। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अग्निशमन विभाग में एडीआइजी का नया पद सृजित किया गया है। साथ ही विभाग के निदेशक के पद पर आइजी रैंक के अधिकारी की तैनाती का प्रविधान भी किया गया है।

तीन नए निजी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई शुरू करने को हरी झंडी

- जेएसएस, शारदा व सरोज विश्वविद्यालय को दी अनुमति
- अब निजी विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़कर हुई 41

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : प्रदेश में तीन और निजी विश्वविद्यालयों का संचालन शुरू करने को हरी झंडी दे दी गई है। गुरुवार को कैबिनेट ने लखनऊ में स्थापित किए गए सरोज इंटरनेशनल विश्वविद्यालय, आगरा के शारदा विश्वविद्यालय और नोएडा के जेएसएस विश्वविद्यालय की प्रायोजक संस्था को संचालन प्राधिकार पत्र जारी करने पर अपनी मुहर लगा दी। अब इन तीन नए विश्वविद्यालयों के शुरू होने से प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की कुल संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी।